INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 7.560 (SJIF 2024)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—२०२०: ग्रामीण भारत की शिक्षा की दशा और दिशा

(National Education Policy-2020: Condition and direction of Education in Rural India)

डॉ नितिन बाजपेयी
सहायक प्रोफेसर, बी एड विभाग,
महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
हरदोई, (उत्तर प्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/04.2024-66582614/IRJHIS2404030

सारांश :

21वीं शताब्दी की प्रथम तथा स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण भारत को शहरी भारत से जोड़ती हुई एक विकसित अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करने के मार्ग पर चलती प्रतीत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में सर्वोत्तम योगदान कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा की पहुंच को सम्भव बनती है, जिससे ग्रामीण संस्कृति परंपराओं को संपोषित कर एक विकसित और सुंदर भारत का निर्माण हो सके। प्रस्तुत शोधपत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उन पक्षों को संदर्भित करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नीतियों के महत्व और क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। इस शोधपत्र में शोधकर्ता प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से गुणात्मक स्तरों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ग्रामीण क्षेत्रों में महत्व व क्रियान्वयन को दर्शाता है। शोधकर्ता तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समस्याओं के लिए अति आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य बिंदु : *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ग्रामीण क्षेत्र, गुणात्मक शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, समावेशी शिक्षा*

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 34 वर्षों के उपरांत केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षमता और निष्पक्षता के साथ देशव्यापी समावेशन कर भारत को एक महाशक्ति के रूप में विश्व में उभारना है। जिसके लिए शैक्षिक व्यवस्था में मूलभूत सुधार व परिवर्तन का संचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक श्रेष्ठ भारत के पथ को प्रदर्शित करती हुई नवीन विज्ञान व तकनीकी का प्रयोग करती है, जो भारत के सभी क्षेत्रों को जोड़कर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की भूमिका को तैयार करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नीतियाँ ग्रामीण और शहरी परिवेश की खाई को पाट कर उनके बीच आधुनिकता और प्राचीनता के द्वन्द्व को समाप्त करेगी जिससे भारतीय संस्कृति व परंपराओं को संपोषित किया जा सके। किसी भी राष्ट्र के

विकास का आधार पर वहां की शिक्षा व्यवस्था होती है। इसी उद्देश्य को पूरा करती हमारी नई शिक्षा नीति 2020, 2015 में भारत द्वारा अपनाए गए सतत विकास के एजेंडा–4 (SDG–4), सभी के लिए समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करती है।

नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। जिसके लिए वर्तमान ज्ञान के प्रसार में आए परिवर्तनों के अनुरूप कुशल, दक्ष और उत्पादक क्षमता का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज का ज्ञान भी आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान से ही संचालित है। मशीन लर्निंग, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में विश्व में कुशल कर्मियों का स्थान मशीन ले रही है। ऐसे में कुशल नागरिकों की मांग बढ़ती जा रही है जो गणित विज्ञान में निपुण हो और जो सामाजिक विज्ञान, मानविकी क्षेत्रों में भी विविध जानकारी रखते हो। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े रूपांतरकारी परिवर्तन आ रहे हैं, जो 'सीख लेने' नहीं बल्कि "सत्त सीखने रहने" की कला के विकास की ओर इंगित करती है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान का संचार बोझिल न होने पाए। जिससे सीखते रहने की कला उबाऊ ना लगे। बालक को उसी के परिवेश में उसी के अनुसार स्थानीय भाषा में, स्थानीय संस्कृति का विकास कर बेहतर और गुणवत्ता परख शिक्षा दी जाए। वैश्वीकरण के दौर में जहां भारत 'वसुदेव कुटुंबकम' की संकल्पना को स्थापित करना चाहता है वहीं वैश्विक परिस्थितियों की मांग के अनुरूप कुशल व उत्पादक नागरिक तैयार करना भी अति आवश्यक हो जाता है जो रोजगार के स्वरूप में आए परिवर्तनों में भी कुशलता से कार्य कर सके, जो यह इंगित करता है कि शिक्षा की विषय वस्तु को इस प्रकार फ्रेम किया जाए कि बालकों में तार्किक व रचनात्मक चिंतन की कला को और विकसित और कुशलता के साथ समस्या समाधान करना सीख ले। यह सब तभी संभव हो सकता है जब भारत के परिवेश को समझकर उसी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। नई शिक्षा नीति से पहले की नीतियाँ ब्रिटिश भारत की शिक्षा परिस्थितियों से प्रेरित थी जो परिणामस्वरुप बहुत जटिल व उबाऊ थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जहां 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, (जनसंख्या 2011) ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपरा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। जिसका उद्देश्य देश के हर जन तक गुणवत्ता परख शिक्षा को पहुंचाना व एक विकसित उत्पादक व समता मूलक समाज की स्थापना करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर परिवर्तन का आह्वान करती है। जिसका उद्देश्य वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना जिसके अंतर्गत प्रारंभिक बाल्य देखभाल प्राथमिक शिक्षा में निपुण बालकों का लक्ष्य, माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का समावेश करना, शिक्षक तैयारी में सुधार व शैक्षिक नियामक वातावरण को पुनर्गठित करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दशा :

विगत वर्षों के अध्ययनों से ज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दशा बहुत ही चिंताजनक रही है। जिसमें सुधार हेतु बड़े प्रयास किए गए। परन्तु पिछले वर्षों की शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट बड़ी निराशाजनक रही है। शिक्षा नीति 1986 के लागू होने पर बड़े व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए जो अभी कार्यरत हैं। जिनमें आंगनबाड़ी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, (1987) शिक्षा गारंटी योजना, (1997), सर्व शिक्षा योजना, (2001) शिक्षा का अधिकार कानून आदि शामिल है। इन सभी योजनाओं का यह परिणाम हुआ कि प्राथमिक और माध्यमिक

कक्षाओं में तो नामांकन बढ़े और मिड डे मील जैसी योजनाओं के आने से ठहराव में भी वृद्धि हुई, परन्तु बच्चों के स्कूल आने का प्रतिशत नामांकन से कहीं न्यूनतम है। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट हुई। चिंताजनक स्थिति तो यह है कि बच्चों में बुनियादी पाठ पढ़ने, लिखने व अंकगणितीय क्षमता तक विकास नहीं हो पाया। यह विचारणीय है कि लगभग 87 प्रतिशत बच्चे जो 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित है परन्तु 25 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो कक्षा 2 की भी पाठ्यसामग्री धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक है। जिस पर काबू पाना कठिन हो गया है। 32 प्रतिशत बच्चे तो नामांकित भी नहीं है और जो है भी उनमें सीखने और कौशल विकास की क्षमता काफी कमजोर है। इस रिपोर्ट में नामांकन में लिंगीय असमानता भी देखने को मिली। लड़कियों के नामांकन में कमी दिखाई दी चूंकि यह सभी वार्षिक रिपोर्ट ग्रामीण स्तर पर शिक्षा मूल्यांकन व आकलन करने के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जाती है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की क्या स्थिति रही। अधिकतर बच्चों की पढ़ाई छोड़ने व विद्यालय न जाने का कारण परिवार की आर्थिक स्थिति का ठीक ना होना है। जब यह स्थिति विद्यालयों की है तो उच्च शिक्षण संस्थानों तक तो ग्रामीण क्षेत्र के बालक पहुंच ही नहीं पाते, जो नामाकिंत भी होते हैं उनमें उच्च शिक्षा के अनुरूप कौशलों का अभाव रहता है। हालांकि कोविड महामारी के आने पर बहुत से निजी शिक्षण संस्थान बंद हो गए। जिसे हर स्तर की सरकारी शिक्षण संस्था में वृद्धि हुई है। परन्तु शिक्षण कार्य यथोचित न हो पाने की स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता का ह्यास हुआ। इस प्रकार के परिवेश में उच्च शिक्षा स्तर पर भी युवकों में कौशल विकास का एक संकल्प एक बड़ी चुनौती बन गया। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पहले से ही शिक्षक छात्र की अनुपात में कमी थी और शिक्षक को बहुकक्षा शिक्षा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उस पर कुछ राज्यों में अध्यापकों की कमी पूरा करने के लिए संविदा पर शिक्षक भर्ती करने का मार्ग अपना लिया। ऐसे में शिक्षकों में अपने व्यवसाय के प्रति हताशा हुई। सामान्यतः विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के नियमित शिक्षकों को लगा दिया जाता है जिसके कारण अपने शिक्षण कार्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। जो समय शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ने और उनके व्यक्तित्व का विकास में देना होता है। वह उसे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व उनकी रिपोर्टिंग में लगा देते है। इससे शिक्षक की गरिमा का भी ह्रास हुआ है।

अब अगर शिक्षा के तृतीय ध्रुव पाठ्यक्रम को देखा जाए तो वह बहुत ही नीरस, सैद्धान्तिक, ऊबाऊँ और रटंत पद्धति पर आधारित थे। वर्षों में कोई पुर्ननिरीक्षण नहीं हुआ और जो हुआ भी तो यह कभी इतिहास की किताबों में व्यक्तित्व जोड़–घटा दिए गए या विज्ञान–गणित को विषय वस्तु से कुछ जटिल पाठ हटकर कुछ सरल जोड़ दिए गए। क्या यही पुनर्निरिक्षण होता है जो सिद्धान्त और व्यवहार के बीच में गर्त को ही पाट न सका। ऐसा पाठ्यक्रम जो एक ग्रामीण बालक को उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से दूर कर पलायन को विवश कर दे उसे पढ़ने या पढ़ने का क्या औचित्य है ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी परिस्थितियों का आकलन कर हर समस्या के लिए उपचार प्रस्तुत करती है। जिसमें शिक्षकों की गरिमा को पुर्नस्थापित किया जा सके, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाकर उनके बोझ को कम किया जा सके और बालकों की मूल प्रतिभा का निखारकर उसमें ऐसे कौशल विकसित किया जा सके जिससे वे शहरों में पलायन न कर अपने स्थानीय क्षेत्रों में

आत्मनिर्भर बन सके और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को दिशा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा तैयार करती है। इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक शिक्षा प्रणाली में सार्वभौमिक बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करना है यह शिक्षा 27 उपखंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष नीतियां है जो क्षेत्रीय संस्कृति को संपोषित कर ग्रामीण बालकों को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करती है।

इस शिक्षा नीति का उदेश्य भारत को विश्वव्यापी ज्ञान की महाशक्ति बनने के लिए निष्पक्षता और समावेशन को बनाए रखते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन का संचार करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रामीण शिक्षा के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ रणनीति अपनाई जा रही हैं।

स्कूल शिक्षा का विस्तार :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा को 10+2 से 5+3+3+4 की संरचना के आधार पर पुनः गठित करती है जिससे अंतर्गत 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को शामिल करती है। 10+2 की संरचना में 3 से 6 वर्ष में उम्र के बच्चे शामिल नहीं है क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के मस्तिष्क का विकास 85 प्रतिशत हो चुका रहता है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को शामिल किया गया। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों की देखभाल न होने से वह कुपोषित रहते हैं और कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर उनकी शैक्षिक विकास पर बहुत धीमा रहता है। प्रारम्भिक शिक्षा को बाल–वाटिका नाम दिया गया है, जिसके लिए वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/शिक्षको को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें प्राथमिक और आंगनबाड़ी के शिक्षक संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके निरीक्षण का कार्य नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर को सौप जा रहा है। अनुमान है कि प्रारम्भिक शिक्षा स्कूली शिक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान करेगी जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

बुनियादी ढांचे का विकास :

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव रहा है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सदैव बाधक रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत आपरेशन कायाकल्प तथा प्रधानमंत्री श्री योजना जैसे सहयोगी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण, दिव्यांग बालकों के लिए रैंप, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, विद्यालय भवन का टायलीकरण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बालकों के लिए ट्राईसाइकिल की सुविधा भी उनकी विद्यालय पहुंच को बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों कक्षाओं पुस्तकालय, प्रिन्टरिच वातावरण का निर्माण करने की भी व्यवस्था नई शिक्षा नीति 2020 करती है जिसमें छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण प्दान करने में मदद मिलती है।

स्थानीय भाषाओं का समावेश :

समान्यतः बच्चे अपनी मातृभाषा में तेजी से सीखते हैं, घर में बोली जाने वाली भाषा में छोटे बच्चे अपने को सहज भी अनुभव करते हैं वे कठिन अवधारणाओं को भी अपनी भाषा में सीख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020

या प्रावधान करती है कि कम से कम कक्षा 5 तक स्थानीय भाषाओं का ही शिक्षण में प्रयोग किया जाए साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों को भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा उपलब्ध कराया जा सकता है। क्षेत्रीय या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अधिक लाभान्वित होंगे और इससे ग्रामीण व स्थानीय भाषाओं का समृद्ध विकास भी संभव हो पाएगा। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत व अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी विकल्प उपलब्ध होगा। जिससे पुरातन भारतीय भाषाओं का सम्पोषण मिलेगा। किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव पर कोई बध्यता नहीं होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च शिक्षा में नामांकित छात्र भी अपनी भाषा के चुनाव में सहज रहेंगे। संवैधानिक प्रावधानों, क्षेत्रों, लोगों और भारतीय संघ की आकांक्षाओं को बहुल भाषावाद से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। बहुभाषावाद और स्थानीय भाषाओं के विकास के साथ–साथ पूर्व से चल रहे त्रिभाषा को लागू किया जा सकेगा। परन्तु त्रिभाषा फार्मूला में लचीलापन रहेगा। किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अक्सर स्कूलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा में अलग भाषा बोलते हैं जिससे सप्रेषण व संचार में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं बहुभाषी शिक्षा उस बाधा को दूर करने में सहायक होगी।

ई–पाठ्यक्रम मॉड्यूल का निर्माण :

ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की पहुंच ज्ञान के समृद्ध संसाधनों तक नहीं हो पाती और जो हो भी पाती है तो भाषा अवरोध बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता परक शिक्षा को पहुंचाने में ई–पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण छात्रों के लिए ई–पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की अनुशंसा करती है। इसका लाभ प्राथमिक से उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अधिक मिलेगा। ई–पाठ्यक्रम न केवल विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा अपितु क्षेत्रीय भाषा के विकास से प्राचीन भारत की धूमिल संस्कृति व विभिन्नताओं को फिर से विश्व में प्रसारित करेगा। ई–पाठ्यक्रम से सभी स्तर के बालक अपनी सामाजिक, आर्थिक व क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ एक मंच पर आएंगे और अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करेंगे जो भारतीयों में अनेकता में एकता सबलीकृत करेगा।

छात्रवृत्तियों का विस्तार :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग करेगी प्रत्येक बालक में जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं। जिनको खोजे जाने, पोषित करने व उनका विकास किये जाने की आवश्यकता होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशा मेधावी युवकों को डॉक्टर इंजीनियर तथा शिक्षक बनाने की ओर आकर्षित करती है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पर स्कालरशिप योजना का खास फोकस रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों में बी.एड 4 वर्षीय कोर्स के एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे तो यह योजना देश भर में लागू होगी परन्तु इस योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा, जहां योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस योजना से जब योग्य युवकों को स्थानीय स्तर पर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा तो वे छात्रों के रोलमॉडल के रूप में उभरेंगे जिसे ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी विद्यालयों में अच्छे शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी और उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा। स्कालरशिप

सहायता के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा। ओलंपियाड परीक्षायें क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की इसमें शामिल हो सके और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। एनआईटी और आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में ओलंपियाड के मानदंड के आधार पर छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान है।

शिक्षकों की कमी को दूर करना :

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अच्छे शिक्षकों को विद्यालय के नजदीक ही आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसा न हो पाने की स्थिति में आवास भत्ते में वृद्धि की जाएगी। शिक्षकों के त्वरित स्थानांतरण पर रोक लगाई जाएगी और आवश्यक स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का प्रयोग किया जाएगा। इससे शिक्षक और स्थानीय समुदायों में बेहतर तालमेल होगा। शिक्षकों की भर्ती कक्षा में पढ़ाने के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। जिसमें स्थानीय भाषा में शिक्षण व दक्षता का आकलन किया जाएगा। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं किया जाएगा। विशेषता शिक्षकों को मध्यान भोजन, प्रशासनिक कार्य, प्रपत्रों की रिपोर्टिंग, अधिकारियों से न्यूनता तथा तर्कसंगत समय से अधिक समय में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां नामांकन की दशा अति न्यून या 30 नामांकन से कम है को बंद करके शिक्षकों और बालकों को नजदीकी विद्यालयों में संलग्न किया जाएगा। जिससे छात्र शिक्षक अनुपात मानदंड के अनुरूप हो सके और शिक्षक वातावरण सकारात्मक, गुणवत्तापूर्ण परिणाम दे सके। शिक्षकों को शिक्षण में स्वायत्ता दी जायेगी और पाठयक्रम के उन पक्षों पर अधिक ध्यान देने की स्वतंत्रता दी जाएगी जो उनकी कक्षाओं और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो जिससे विद्यार्थियों का सर्वागीर्ण विकास हो सके।

व्यावसायिक शिक्षा पर बल :

शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न रोजगारों में दक्ष नागरिक तैयार करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता का समावेश हो जिस पर अभ्यास करना भी आवश्यक है। हर वर्ष विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय से लाखों छात्र स्नातक की डिग्री लेकर निकलते हैं, परन्तु उन्हें अपने शिक्षा व कौशल से मेल खाने वाला रोजगार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यह केवल सामान्य कला, विज्ञान या वाणिज्य वर्ग के स्नातकें की दशा नहीं अपितु इंजीनियरिंग में स्नातकों को भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उनके पास व्यावहारिक कौशलों का अभाव रहता है। उद्योग जगत बढ़ने उनमें से एक बड़े वर्ग को रोजगार के योग्य समझता ही नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को उत्पादक बनने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आए युवक अपनी स्थानीय परिवेश संस्कृति, परम्पराओं में तो अनुकूल नहीं कर पाते शहरों में भी वे संघर्षरत रहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रस्तावों में एकीकृत की जाएगी। जिसका पाठ्यक्रम तैयार करने में आई.आई.टी, पॉलिटेक्निक तथा स्थानीय उद्योग आदि से सहयोग लिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के दौरान 10 दिवसीय बैगलेस पीरियड होगा जिसमें विद्यार्थी अल्प अवधि में स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करेंगे। जिसमें व्यवसाय, ज्ञान और कौशल जैसे स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसायों, खेल, बढ़ाईगिरी, शिल्प आदि के कौशलों में दक्ष होंगे। जिसमें ग्रामीण व्यवसायों का जीर्णोधार होगा तथा उत्पादक नागरिकों का निर्माण किया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्थानीय जैविक कृषि में दक्ष करना, भारत के हस्तकला, हस्तशिल्प आदि लुप्तप्राय उद्योगों में ग्रामीण विद्यार्थियों को कुशल बनाना जिसमें इन उद्योगों को पुनः स्थापित किया जा सके और विद्यार्थियों को वृहद रोजगार के अवसर देकर उन्हें स्थानीय परिवेश में ही आत्मनिर्भर बनाना तथा श्रम की गरिमा को महत्व देना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवसायीकरण का लक्ष्य है।

डिजिटल शिक्षा का अनुप्रयोग :

नई शिक्षा नीति 2020 के फोकस बिंदु शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षा ने एक बेहतर आधार प्रदान किया। जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तकनीकी के समावेशी उपयोग यानी सभी को साथ लेकर चलने की बात कही गई है ताकि तकनीकी या डिजिटल शिक्षा से कोई वंचित न रह जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करने के प्रयास में NIOS, IIT, NIT आदि जैसी संस्थाओं को पहचान कर निरंतर सुधार के लिए उनकी पायलट स्टडी की जाएगी। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो क्षेत्रीय, ग्रामीण स्थिति के कारण डिजिटल पहुंच से वंचित है वहां टेलीविजन और रेडियो और सामुदायिक रेडियो का प्रसारण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सामाजिक, शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में 24/7 उपलब्ध कराया जाएगा। वर्चुअल लैब के अंतर्गत दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है जो छात्रों के सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत की ई–सामग्री से लैस टैबलेट छात्रों और शिक्षकों को वितरित करने का प्रावधान करता है। जहाँ–तहाँ इनका क्रियान्वयन भी विभिन्न योजनाओं द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रकार डिजिटल शिक्षा शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के बीच रही ज्ञान की खाई को पाटने का कार्य करेगी।

भारतीय कला संस्कृति का संवर्धन :

भारतीय संस्कृति पुरातन व समृद्ध है जो कि कला, साहित्य, परंपराओं, कलाकृतियों ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासतों से परिलक्षित होती है। भारत उत्सवों का देश है। जहां विभिन्न प्रकार के नृत्य संगीत तथा अतिथि सत्कार आदि विश्वभर को आकर्षित करते है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की इस अनुपम कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए भी कार्य करने पर बल देती है। नई शिक्षा नीति आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं के संवर्धन के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की अनुशंसा करती है।

उत्कृष्ट कलाकारों को प्रशिक्षण के रूप में स्कूलों से जोड़ा जाएगा जिससे बच्चे अपने गौरवमयी में संस्कृति को जानकर उनकी कलाओं में दक्ष हो सके। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों व हस्तशिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जाए जायेगा। इस प्रकार प्राचीन स्थानीय व ग्रामीण संस्कृतियों का पोषण कर प्रत्येक बालक को अपनी संस्कृति के प्रति गौरांवित किया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन पर बल :

हालांकि भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए बहुत सा कार्य किए हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में उनके आंकड़े अभी भी विद्यमान है। निरक्षरता व्यक्ति के दैनिक जीवन के कार्यों को भी विपरीत रूप से प्रभावित करती है।

जिसे व्यक्तियों में असमर्थता का भाव तो उत्पन्न होता ही है वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे विकास की दृष्टि से उत्पादक नागरिक भी नहीं बन पाते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक विद्यालयों और पब्लिक लाइब्रेरी को प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयोग करने की संस्तुति देता है। प्रौढ़ शिक्षा के ऑनलाइन पुस्तकों, ऐप और कोर्सेज के माध्यम से दी जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत फाउंडेशन, लिटरेसी एडं न्यूमरेसी के अलावा व्यावसायिक और आधारभूत शिक्षा भी दी जाएगी। गांव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय व प्रौढ़ो को भी लाभान्वित किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सुझाये गये कार्यो में प्रमुख रूप से पाठ्चर्या निर्माण हेतु संगठन के गठन, पाठ्यचर्या में व्यावसायिक कौशल को महत्व, शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदायों की भागीदारी लेने आदि को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावित चुनौतियां : –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा में परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो शिक्षा व्यवस्था को रोजगार उन्मुख बनाने की ओर अग्रसर है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार व अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।

हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के कई राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है, फिर भी इसमें कई चुनौतियों का सामना करने की संभावना है।

शिक्षकों की कमी :

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है और उपयुक्त संसाधनों का भी अभाव है। ऐसे में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य कर पाना मुश्किल होगा। इसके लिए भी सभी राज्यों को सर्वप्रथम व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों या प्रशिक्षको की भर्ती करने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है।

शिक्षा का संस्कृतिकरण :

गैर हिन्दी दक्षिणी भारतीय राज्य त्रि–भाषा सूत्र का संस्कृतिकरण का एक सरकारी प्रयास मान रही है।

फंडिग सम्बन्धी जाँच की अपर्याप्तता :

संभावना है कि कुछ राज्यों में शुल्क सम्बन्धी विनिमय पर्याप्त न हो है लेकिन जाँच की अपर्याप्तता दशाओं में नियामक प्रक्रिया असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है।

भाषा सम्बन्धी चुनौती :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण कार्य कराने को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि स्थानीय भाषाओं में बालक बहुत सहजता से सीख लेता है परन्तु अंग्रेजी मीडियम के निजी विद्यालय या कॉन्वेंट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम को अपना आकर्षण बना कर विद्यालयों में नामांकन करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना समावेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की कमी :

उच्च शिक्षा में इंटरनेट या स्मार्टफोन का प्रयोग हो रहा है विभिन्न राज्यों में योजनाओं के माध्यम से स्मार्ट फोन वितरण, टैबलेट वितरण, वाईफाई आदि का प्रबंध किया जा रहा है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में इसकी व्यवस्था नहीं है। जहाँ हो भी रही है वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था करना भी चुनौतीपूर्ण है।

उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता :

उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने में वित्तीय और प्रबंधन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

शोध एवं नवाचार :

भारत में शोध पर अब तक जीडीपी का 0.69 प्रतिशत व्यय किया जाता है। जिसको बढ़ाने के लिए कम से कम 5000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवश्यक है। जो भी है चुनौतीपूर्ण बहुत है उस पर शोध की गुणवत्ता कितनी होगी आजकल के शोधों को देखकर चिंतनीय है।

विश्वविद्यालय की गुणवत्ता :

वर्तमान में क्यू एस विश्व रैंकिंग 2024 के आंकड़ों को देखें तो भारत के विश्वविद्यालय टॉप 200 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। मात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंकिंग 220 है। ऐसे में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में वृद्धि करना भी चुनौतीपूर्ण है।

शिक्षा पर जीडीपी के खर्च को 6 प्रतिशत तक लाना :

पूर्व में भी जीडीपी का 6 प्रतिशत धनराशि शिक्षा पर व्यय का प्रावधान रहा है। परन्तु धरातल पर इसे उतारना और बजट में समन्वय करना चुनौतीपूर्ण है।

भारत के सभी राज्यों में एन ई पी 2020 का क्रियान्वयन :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा 2019 में ही तैयार हो गया था जो समस्त सुझावों और परिवर्तनों को मानते हुए 2020 में स्वीकृत कर ली गई। तब से लेकर वर्तमान वर्ष 2024 तक संपूर्ण भारत में इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, भारत के सभी राज्यों में इसकी सहमति बनाकर, समान रूप से लागू करना भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया है।

क्रियान्वयन की समस्या हेतु सुझाव :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिक, विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को सहयोग से कार्य करना होगा।
- शिक्षा अंतिम छात्र तक पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को सुलभ हो इसके लिए सभी स्तर के नागरिको में उत्तरदायित्व का विकास करना होगा।
- सभी निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों जो मानदंड के अनुरूप ना हो बंद किये जाये उन से गुणात्मक शिक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षक भर्ती की जाए तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिये सर्वप्रथम विशेषज्ञ शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए।
- डिजिटल शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वोत्तम आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए जिसके अंतर्गत बिजली तथा वाईफाई नेटवर्किंग सुविधाओं को सुलभ कराया जाए।
- शोध एवं नवाचार यह अनुसंधान की गुणवत्ता के आकलन के लिए कठोर मानदंड बनाए जाए और विश्वविद्यालयों द्वारा कड़ाई से पालन कराया जाए।

- विश्वविद्यालयों में शोध निर्देशन के लिए उचित मानदंड तैयार किये जाये और अनुभवी तथा अनुसंधान की तकनीकी जानकारी रखने वाले प्रोफेसरों को ही शोध निर्देशक बनाया जाए।
- फंडिंग संबंधी जांच के लिए नए नियामक तय किए जाएं तथा इसकी जांच के लिए राज्यों से सहयोग लिया जाए।
- शिक्षा पर जीडीपी के खर्च को 6 प्रतिशत तक लाने के लिए सभी राज्यों तथा गैर सरकारी संगठनों से सहयोग लिया जाए।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ब्रिटिश शिक्षा से प्रेरित अब तक की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर कर भारत के विश्वगुरु होने के गौरव को पुनः स्थापित करती है। भारत में समावेशी विकास को महत्त्व देते हुए इस नीति में परिवर्तनशील समाज के लिये शाश्वत मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना को साकार करने का संकल्प है। दशकों से चली आ रही शिक्षा की संरचना में विस्तार कर यह शिक्षा नीति समाज के अंतिम बालक तक शिक्षा की पहुँच बनाती है। इस नीति की अनुशंसाएँ शिक्षा में गुणवत्ता, समानता वह संपूर्ण भारत की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाती है, जो भारत की ग्रामीण व स्थानीय जनता को शिक्षा के माध्यम से एक सूत्र में पिरोती है। वर्तमान में इस नीति के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियों का सामना अवश्य ही करना पड़ रहा है परन्तु भविष्य में यह निश्चित ही सफल हो कर भारत को विश्व में एक श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था होने का गौरव दिलाएंगी।

संदर्भ :

1. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. प्रो. के. एल शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, प्रकाशन संख्या 2, 24 अगस्त 2020
4. गंगावाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के उद्घाटन का प्रतियोगिता, दैनिक नवज्योति प्रकाशन संख्या 22 अगस्त 2020
5. राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय
6. तन्खा वरुण, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ठ
7. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, प्रकाशन संख्या 80–81
8. गुरूपंच, एस. के., नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति – चुनौतियाँ एवं समाधान। समाजिक विज्ञान में समीक्षा और अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2022; 10 (4): 199–7